संवैधानिक विकास

- बंगाल का प्रथम गवर्नर - रॉबर्ट क्लाइव
- 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल - वारेन हेस्टिंग्स
- 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया — विलियम बेंटिक (भारत का पहला गवर्नर जनरल)

- प्रथम वायसराय - कैनिंग

(1.) 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट :—

(i) कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए तथा EIC के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया यह पहला कदम था।

(ii) कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली।

(iii) बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन

(iv) गवर्नर जनरल और 4 की परिषद

(v) कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया।

(2.) 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट :—

दोहरा प्रशासन का प्रारंभ

कंपनी — वाणिज्यिक गतिविधियों को नियंत्रित कर रही थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा

ब्रिटिश संसद — बोर्ड ऑफ कंट्रोल (लंदन) के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक मामलों को नियंत्रित

(3.) 1813 का चार्टर अधिनियम :—

(i) भारतीय व्यापार में कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति। अपवाद- चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा।

(ii) ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति

(iii) भारत में शिक्षा के विकास के लिए ₹ 1 लाख.

(4.) 1833 का चार्टर अधिनियम

(i) कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति

(ii) बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।

(iii) दास प्रथा का अंत

(iv) कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

(5.) 1853 का चार्टर अधिनियम

(i) कंपनी की सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था

(ii) गवर्नर जनरल परिषद की विधायी एवं कार्यपालिका शक्ति को पृथक कर दिया गया। फलतः पहली बार एक पृथक विधान ~~[illegible]~~ परिषद का गठन।

(6.) 1858 का भारत शासन अधिनियम :—

(i) भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया।

(ii) मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया।

(iii) ~~[illegible]~~ भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में "भारत के राज्य सचिव" की नियुक्ति की गई जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सारे अधिकार सौंप दिए गए। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था।

(iv) भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया।

(7.) 1861 का भारत परिषद अधिनियम :—

(i) गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी (कार्यपालिका) परिषद का विस्तार किया गया।

(ii) गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली जिसकी अवधि छः माह थी।

(iii) कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीय को विस्तारित परिषद में "गैर-सरकारी" सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था।

(8.) 1892 का भारत परिषद अधिनियम :—

(i) सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई।

(ii) भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने या सदन में मत विभाजन का अधिकार उन्हें नहीं था।

भारत के राज्य सचिव → भारत के वायसराय

(9.) 1909 ई. का भारत परिषद अधिनियम (मार्ले-मिन्टो सुधार) :—

(i) पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे।

लॉर्ड मिंटो को साम्प्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया।

(ii) केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला।

(iii) प्रांतीय विधानपरिषद की संख्या में वृद्धि की गई।

(iv) भारतीयों की गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में "सदस्य" के रूप में नियुक्ति की गई।